

कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

// परिपत्र //

क्र. २...../

दुर्ग, दिनांक 10.10.2025

इस परिपत्र के माध्यम से जिला न्यायालय, दुर्ग के सभी अनुभागों में कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारी/प्रभारी अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति जिन्हें न्यायालय/अनुभाग में प्रवेश की पूर्व अनुमति नहीं है, उन्हें न्यायालय/अनुभाग में प्रवेश करने न दिया जावे।

बिना अनुमति के प्रवेश, अनाधिकृत प्रवेश माना जावेगा; जो कि सिविल सेवा आचरण नियम के विरुद्ध होगा तथा ऐसी स्थिति में प्रवेश दिये जाने पर संबंधित अनुभाग में कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

सा/-
वास्ते- प्रधान जिला न्यायाधीश,
दुर्ग (छ.ग.)

पृष्ठां.क्र. २४५६.. /परिपत्र नस्ती/

दुर्ग दिनांक 10.10.2025

यथा आदेश प्रतिलिपि-

1. प्रभारी अधिकारी, समस्त अनुभाग, जिला न्यायालय दुर्ग (छ.ग.)
2. समस्त न्यायिक अधिकारी, जिला न्यायालय दुर्ग (छ.ग.)
3. वरिष्ठ न्यायालय प्रबंधक, जिला न्यायालय दुर्ग (छ.ग.)
4. प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय दुर्ग (छ.ग.)

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को संसूचित किये जाने बाबत प्रेषित।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (छ.ग.)